

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर 2008—भाद्र 25, शक 1930

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-32-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 16 सितम्बर, 2008 से अशोकनगर जिले की अशोकनगर तहसील की सीमायें, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त, शाहोरा के (प. ह. नं. 1 से 15) एवं रा. नि. वृ. कचनार (प. ह. नं. 30, 31) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है, प. ह. 17 को समाविष्ट करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित पिटीशन क्रमांक 1114/2008 द्वारा श्री नफीसउद्दीन नईसराय तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य के विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए नवीन शाहोरा तहसील का सृजन करती है, जिसमें कुल 108 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय शाहोरा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ-1-32-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पू. क्र. एफ-1-32-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-32-08-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil ASHOKNAGAR district ASHOKNAGAR with effect from 16th September, 2008 by excluding there from R. I. Circle SHADHORA (Patwari Halka No. 01 to 15) and R. I. Circle Kachnar (P. H. No. 30, 31) and create a **New Tehsil SHADHORA** comprising of 17 Patwari Halkas as mentioned above subject to the decision of W. P. No. 1114/2008 Shri Naffisuddin Nai Sarai Tahsil Isagarh District Ashoknagar Vs. State of M. P. and others pending before Hon'ble High Court of M. P. Bench Gwalior, with effect from the said date. In which the total villages shall be 108. The headquarter of the said tehsil shall be at SHADHORA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-33-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर, 2008 से सिवनी जिले की लखनादौन तहसील की सीमायें, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त, छपारा के (प. ह. नं. 10 से 25) तथा (प. ह. नं. 63 से 71) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है, प. ह. 25 को समाविष्ट करते हुए, **नवीन तहसील छपारा** का सृजन करती है जिसमें कुल 167 ग्राम (165 राजस्व ग्राम तथा 2 वनग्राम) होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय छपारा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ-1-33-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पू. क्र. एफ-1-33-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-33-08-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil LAKHNADON district SEONI with effect from 16th September, 2008 by excluding there from R. I. Circle CHHAPARA (Patwari Halka No. 10 to 25 and 63 to 71) and create a **New Tehsil CHHAPARA** comprising of the 25 Patwari Halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total villages shall be 167 (165 Revenue and 02 Forest village). The headquarter of the said Tehsil shall be at CHHAPARA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-29-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर, 2008 से सागर जिले की बंडा तहसील की सीमायें, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त, शाहगढ़ (प. ह. नं. 1 से 30 तथा 36 से 47) एवं रा. नि. वृत्त बंडा के (प. ह. नं. 31 से 35) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है, पटवारी हल्के 47 को समाविष्ट करते हुए, **नवीन तहसील शाहगढ़** का सृजन करती है जिसमें एक वनग्राम सहित कुल 128 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय शाहगढ़ में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ-1-29-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पू. क्र. एफ-1-29-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-29-08-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil BANDA of district SAGAR with effect from 16th September, 2008 by excluding there from R. I. Circle SHAHGARGH (Patwari Halka No. 01 to 30 and 36 to 47) of R. I. Circle BANDA (Patwari Halka No. 31 to 35) and create a **New Tehsil SHAHGARGH** comprising of the Parwari Halka 47 as mentioned above with effect from the said date. In which the total villages shall be 128 including one forest village. The headquarter of the said tehsil shall be at SHAHGARGH.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-13-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से धार जिले की कुशी तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त डही (प.ह.नं. 37 से 53) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है, प. ह. 17 को समाविष्ट करते हुए **नवीन तहसील डही**, का सृजन करती है, जिसमें कुल 62 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय डही होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पृ. क्र. एफ-1-13-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. पृ. क्र. एफ-1-13-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-13-08-VII-S.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil KUKSHI of District DHAR with effect from 16th September 2008 by excluding there from R. I. circle DAHI (Patwari Halka 37 to 53) and creat a **New Tehsil DAHI** comprising of 17 Patwari halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 62 The headquarter of the said Tehsil shall be at DAHI.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-18-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त धुवारा (प.ह.नं. 1 से 24) एवं रा.नि.मं. भगवा (प. ह. नं. 25 से 34) प. ह. 34 को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित प. ह. 34 को समाविष्ट करते हुए **नवीन तहसील धुवारा** का सृजन करती है, जिसमें कुल 56 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय धुवारा होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पृ. क्र. एफ-1-18-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्र. पृ. क्र. एफ-1-18-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-18-08-VII-S.6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limit of Tehsil BADAMALHARA of District CHHATARPUR with effect from 16th September 2008 by excluding there

from R.I. circle DHUWARA (Patwari Halka 1 to 24) of R.I. circle BHAGWA (Patwari Halka No. 25 to 34) and creat a **New Tehsil DHUWARA** comprising of 34 Patwari halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total Villages shall be 56 The headquater of the said Tehsil shall be at DHUWARA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ 1-16-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से ग्वालियर जिले की भितरवार तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त-आंतरी (प.ह.नं. 3 से 11 एवं 20 से 24) एवं रा.नि.वृत्त चिनौर के (प.ह.नं. 1, 2 एवं 12 से 19 तथा 25 से 30) को उपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है कुल प.ह. 30 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील चिनौर का सृजन करती है, जिसमें कुल 81 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय चिनौर होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ. 1-16-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पु क्र. एफ-1-16-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-16-08-VII-S-6,—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil Bhitwarwar of District GWALIOR with effect from 16th September 2008 by excluding there from R. I. circle AANTRI (patwari halka No. 03 to 11 and 20 to 24) and R. I. circle CHINOUR (P.H.No. 1,2, and 12 to 19 and 25 to 30) and creat a **New Tehsil CHINOUR** comprising of 30 patwari halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total villages shall be 81. The headquater of the said tehsil shall be at CHINOUR.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ 1-23-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से इन्दौर जिले की इन्दौर तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त-हातोद (प.ह.नं. 1 से 4) राजस्व निरीक्षक वृत्त धरमपुरी के (प.ह.नं. 14 से 18) तथा राजस्व निरीक्षक मंडल देपालपुर (प.ह.नं. 21, 24, 25, 26 तथा 27) और राजस्व निरीक्षक वृत्त बेटमा के (प.ह.नं. 33) को उपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती

है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है, पटवारी हल्के 15 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील हातोद का सृजन करती है जिसमें कुल 62 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय हातोद होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ. 1-23-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पु क्र. एफ-1-23-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-23-08-VII-S-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil INDORE of District INDORE with effect from 16th September 2008 by excluding there from R.I. Circle HATODE (patwari halka 01 to 04) of R. I. circle DHARAMPURI (patwari halka No. 14 to 18) and R.I. Circle DEPALPUR (P. H. No. 21, 24, 25, 26, 27) and R. I. Circle BETMA (P.H. No. 33) and create a New Tehsil HATODE comprising of 15 Patwari Halkas as mentioned above with effect from the said date, In which the total villages shall be 62 the headquarter of the said tehsil shall be at HATODE.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-21-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से खरगोन जिले की खरगोन तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त-2 के (प.ह.नं. 28 से 45) को उपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से जैसा ऊपर वर्णित है पटवारी हल्के 18 को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील गोगांवा का सृजन करती है, जिसमें कुल 108 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय गोगांवा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ-1-21-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पु क्र. एफ-1-21-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-21-08-VII-S-6,—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil KHARGONE of District KHARGONE with effect from 16th September 2008 by excluding there from R.I. Circle No. 2 (Patwari Halka 28 to 45) and create a **New Tehsil GOGANWA** comprising of 18 Patwari Halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total villages shall be 108 The headquarter of the said Tehsil shall be at GOGANWA.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

आदेश

क्र. एफ-1-35-2008-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, दिनांक 16 सितम्बर 2008 से खण्डवा जिले की खण्डवा एवं हरसूद तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत्त-मांधाता (प.ह.नं. 1 से 17) तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त मुंदी (प.ह.नं. 18 से 36) तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त किल्लौद (प.ह.नं. 1, 3 तथा 18 से 20) और राजस्व निरीक्षक वृत्त हरसूद (प.ह.नं. 26 से 29) को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और उक्त दिनांक से, उपरोक्त यथा वर्णित 45 पटवारी हल्कों को समाविष्ट करते हुए **नवीन तहसील पुनासा** का सृजन करती है जिसमें कुल 175 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय पुनासा में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2008

पू. क्र. एफ-1-35-08-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक पू क्र. एफ-1-35-08-सात-शा-6, दिनांक 16 सितम्बर 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एन. सोनी, उपसचिव.

Bhopal, the 16th September 2008

ORDER

No. F-1-35-08-VII-S-6,—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limit of Tehsil KHANDWA and Harsood of District Khandwa with effect from 16th September 2008 by excluding there from Tahsil Khandwa R.I. circle Mandhata (patwari halka 01 to 17), R.I. circle Mundi (patwari halka 18 to 36) R.I. circle Killod (patwari halka 1-3 & 18-20) and R. I. circle Harsood (patwari halka 26-29) create a **New Tehsil POONASA** comprising of 45 patwari halkas as mentioned above with effect from the said date. In which the total villages shall be 175 the headquarter of the said tehsil shall be at Poonasa.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. N. SONI, Dy. Secy.